फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री अर्जुनलाल पिता पिता श्री मगनीराम मेवाड़ा निवासी बिनोल तहसील कुंवारिया जिला राजसमंद

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 19/2023**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 10.04.2023 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा जरिये पत्रांक एफ.1( )सू.अ.,05/2022/278–280 दिनांक 27.03.2023 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना जिला परिषद, राजसमंद की होने से आरटीआई आवेदन पत्र पत्रांक: 56–57 दि. 25.01.2023 से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(1)(2) में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.राजसमंद एवं सूचना के अधिकार, 2005 पोर्टल जरिये ऑनलाईन सं. 7878481070 दिनांक 25.01.2023 से ग्राम विकास अधिकारी, ग्रा.पं. बिनोल को अन्तरण किया गया । लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना जिला परिषद, राजसमंद से संबंधित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(1)(2) में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. राजसमंद एवं सूचना के अधिकार, 2005 पोर्टल जरिये ऑनलाईन सं. 7878481070 दिनांक 25.01.2023 से ग्राम विकास अधिकारी, ग्रा.पं. बिनोल को अन्तरित कर दी जाने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को क्षेत्राधिकार नही होने से खारीज किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद राजसमंद एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्रा.पं. बिनोल को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** न्यायालय जिला कलक्टर **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर) राजसमंद**	